

14/5/17

पञ्चवली केम कोर्ली न्याय आपसे द्वार में उम्तुता
 हुई। प्रतिवादी संख्या ① श्री कालुराम खलीबु
 पिता लजारी खलीबु ने आपसी समझौते से
 प्रचरण का निस्तारण बिये जाने हेतु
 निवेदन दिया। एवं यह भी स्वीकार किया कि
 का. न. 614 रकबा 1-11 की धा रो धर
 वादी के नाम पर हुई बिये जाने हेतु
 सहमती है। जिससे वादी का वाद
 स्वीकार रिया जाएर उससे पक्ष में
 डिब्री बिया जाता है पञ्चवली पेंसल
 मुमार होपन्ध नेबल से बमहौ।

कालुराम
 2 demin...
 अक्षय

उपस्थित अधिकारी
 श्री...

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी :- राजलक्ष्मी गहलोत (आरएएस)

1. श्री भेरूलाल पिता त्रिलोक बैरवा निवासी देवाखेडा
बनाम
1. श्री कालूराम पिता हजारी खटीक नि० पासंल
2. मु० सरजू बैवा श्री हजारी खटीक नि० पासंल
3. मंजु पिता हजारी निवासी पासंल
4. सीमा पुत्री हजारी निवासी पासंल
5. रेखा पुत्री हजारी निवासी पासंल
6. कंचन पुत्री हजारी निवासी पासंल हाल शास्त्रीनगर भीलवाडा
7. भागुती पुत्री हजारी निवासी पासंल
8. पारस पुत्री हजारी निवासी पासंल
9. सन्तोक पुत्री हजारी निवासी पासंल
10. राजस्थान जरिये तहसीलदार भीलवाडा

दावा बाबत:-88,89,53 व 188 रा.का.अधि.व 136 भू-राजस्व

प्रकरण संख्या :- 105/2015

निर्णय दिनांक :- 19-5-2017

वादी की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 19-5-2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है डिग्री दी जाती है कि ग्राम पासंल के आराजी नम्बर 614 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है । राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के बजाय वादी का नाम उक्त आराजी में अंकित करें ।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे ।

आज दिनांक 19-5-2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा